भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5566
26.07.2019 को उत्तर के लिए

ग्रीन मंजूरी मानदंड

5566. श्री वी.के. श्रीकंदन:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरणीय मंजूरियों की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सरकार ने कुछ ग्रीन मंजूरी मानदंडों को शिथिल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रावधान परियोजना स्वामियों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा क्योंकि ये उन्हें पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट तैयार करने में स्पष्टता प्रदान करेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) जी नहीं, सरकार द्वारा पर्यावरणीय मंजूरियों की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए कुछ ग्रीन मंजूरी मानदंडों को शिथिल नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया को सुचारू बनाने तथा उसे और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ विचारार्थ विषयों (टीओआर) का मानकीकरण, ईआईए अधिसूचना के तहत पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों एवं विभिन्न आवेदनों के प्रपत्रों का मानकीकरण, **परिवेश** (प्रो-एक्टिव एंड रिस्पांसिव फेसिलिटेशन बाइ इंटरएक्टिव, वर्चुअस एंड एनवायरनमेंटल सिंगल-विंडो हब) नाम से एक एकल-खिड़की एकीकृत पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली की स्थापना आदि शामिल हैं।

****